



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अली जं, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) joimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/165/2013/एफ.सी. / 11436

दिनांक:

सेवा में,

नोडल अधिकारी, एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : 400 के०वी० डबल परिपथ लखनऊ-बरेली पारेषण लाईन निर्माण में जनपद-खीरी में मोहम्मदी-शाहजहाँपुर मार्ग किमी० 20 व 19 के मध्य 0.184 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।


सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश का पत्र संख्या-1365/11-सी-67 दिनांक 30.12.15

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन को पत्रांक- 979/11सी-67, दिनांक- 13.11.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 28.10.2014 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 400 के०वी० डबल परिपथ लखनऊ-बरेली पारेषण लाईन निर्माण में जनपद-खीरी में मोहम्मदी-शाहजहाँपुर मार्ग किमी० 20 व 19 के मध्य 0.184 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जाते होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा। (इस वृक्षारोपण का नवीनतम अनुमोदित प्राक्कलन भी इस कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा)
3. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
4. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
5. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।


19/12/16

6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आर पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
9. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन क कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।
11. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

✓

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रमुख सचिव(वन), वन अनुभाग, 6वां तल, बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफ़ इण्डिया लि0, कृष्णा भवन, सेठ इन्वलेव (निकट पी0डब्लू0डी0 इंस्पेक्शन बंगला), शहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।
6. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।



(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)